अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक.1(3)25/मो./आईसीडीएस/ /19/-223 जयपुर, दिनांक 01.01.2010

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषयः– शहरी क्षेत्रों में आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका का चयन कर क्रियाशील करने के क्रम में।

विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय के पत्रांक 75516–920 दिनांक 12.11.09, पत्रांक 81467–566 दिनांक 03.12.09 एवं इसकी निरन्तरता में विभिन्न पत्रों के द्वारा नवीन स्वीकृत आंगनबाडी केन्द्रों को प्रारम्भ करने हेतु दिशा–निर्देश एवं ग्रामवार सूचियां भिजवाई गई थी। इन नवीन आंगनबाडी केन्द्रों को अतिशीघ्र क्रियाशील किया जाना है। राज्य में निकट भविष्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने है, अतः ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण शहरी क्षेत्रों में उक्त नवीन स्वीकृत आंगनबाडी केन्द्रों को क्रियाशील करने की कार्यवाही तुरन्त प्रारम्भ की जावें। इस हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के पत्र क्रमांक 6798 दिनांक 26.12.09 से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र की प्रति संबंधित नगर पालिकाओं को प्रेषित कर शहरी क्षेत्रों के लिए अनुमोदित केन्द्रों पर निर्धारित प्रक्रियानुसार आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका एवं मिनी कार्यकताओं के चयन की कार्यवाही तत्काल सम्पन्न कर किये गये चयन की सूचना निदेशालय भिजवायें। इसके उपरान्त चयनित महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु नामांकित किया जा सकेगा।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

E:\umesh\umesh.doc- 1 -

प्रतिलिपि वेबसाईट पर डलवाने हेतु।